बिहार सरकार
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग
(उर्दू निदेशालय)

का०आ०सं०— उ०नि०— 42/2014.....66...../रा0, **पटना, दिनांक 15/6/15**

कार्यालय आदेश

प्रायः यह देखा जा रहा है कि क्षेत्रीय कार्यालयों में पदस्थापित उर्दू अनुवादकों, सहायक उर्दू अनुवादकों, उच्च वर्गीय लिपिकों, निम्नवर्गीय लिपिकों एवं कार्यालय परिचारियों की छुट्टी तथा भविष्य निधि में संचित राशि की अग्रिम निकासी की स्वीकृति, संबंधित नियंत्री पदाधिकारी तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा नहीं की जाती है और मामले को उर्दू निदेशालय में स्थानान्तरित कर दिया जाता है। फलस्वरूप वांछित कार्रवाई में अनावश्यक प्रक्रियागत विलम्ब होता है।

2. उक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए क्षेत्रीय कार्यालयों में पदस्थापित उर्दू कर्मचारियों यथा उर्दू अनुवादकों, सहायक उर्दू अनुवादकों, उच्चवर्गीय लिपिकों, निम्नवर्गीय लिपिकों एवं कार्यालय परिचारियों की सभी प्रकार की छुट्टियों सहित भविष्य निधि में संचित राशि की अग्रिम निकासी की स्वीकृति प्रदान करने के लिए सभी नियंत्री तथा संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को प्राधिकृत किया जाता है।

3. इस से संबंधित पूर्व के सभी आदेशों को विलोपित समझा जाए।

15/6/15

(इम्तियाज अहमद करीमी)
निदेशक (उर्दू)

ज्ञाप संख्या— उ०नि०— 42/2014.....299...../रा0, **पटना, दिनांक 15/6/15**

प्रतिलिपि :— सभी जिला पदाधिकारी/सभी अनुमंडल पदाधिकारी एवं सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. **प्रतिलिपि** :— सभी कोषागार पदाधिकारी/सभी उप कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/6/15

(इम्तियाज अहमद करीमी)
निदेशक (उर्दू)

ज्ञाप संख्या— उ०नि०— 42/2014.....299...../रा0, **पटना, दिनांक 15/6/15**

प्रतिलिपि :— आई०टी० मैनेजर, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु दी जाती है।

15/6/15

(इम्तियाज अहमद करीमी)
निदेशक (उर्दू)

E:\Shakil\Vijay\Office Order- 42-2014 Date- 15-06-2015-2.doc